फीमेल जेनटिल म्यूटलिेशन

प्रलिमि्स के लयिे:

महलिा जननांग वकिृत,ि महलिा जननांग वकिृत िके लयिे शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दविस, **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष**, **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष**

मेन्स के लयिे:

महलिाओं से संबंधति चुनौतयिाँ, FGM उन्मूलन में चुनौतयिाँ

स्रोत: द हदिू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र एजेंसयिों ने कहा कि वर्ष **2024** में दुनयिा भर में लगभग 44 लाख लड़कयिों पर **महलिा जननांग वकिृत (female genital mutilation)** का खतरा मंडरा रहा है।

महलिा जननांग वकिृत क्या है?

- **परचिय**: महलिा जननांग वकिृत (Female genital mutilation - FGM) में वे सभी प्रक्रयिाएँ शामलि हैं जनिमें **गैर-चकितिृसीय कारणों से महलिा जननांग को बदलना या घायल करना शामलि है** और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़कयिों तथा महलिाओं के मानवाधकिारों, स्वास्थ्य एवं अखंडता के उल्लंघन के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **प्रसार: यह मुख्यतः पश्चमिी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी अफ्रीका के साथ-साथ चुनदिा मध्य पूर्वी तथा एशयिाई देशों में केंद्रति है।**
  - हालाँक िबढ़ते प्रवासन के साथ, FGM एक वैश्वकि चतिा बन गया है, जो **यूरोप, ऑस्ट्रेलयिा** और **उत्तरी अमेरकिा** में भी लड़कयिों एवं महलिाओं को प्रभावति कर रहा है।
- **प्रभाव**: जो लड़कयिाँ, महलिा जननांग वकिृत िसे गुज़रती हैं उन्हें गंभीर दर्द, आघात, अत्यधकि रक्तस्राव, संक्रमण और पेशाब करने में कठनिाई जैसी अल्पकालकि जटलिताओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा **मानसकि स्वास्थ्य** पर दीर्घकालकि परणिाम भी होते हैं।

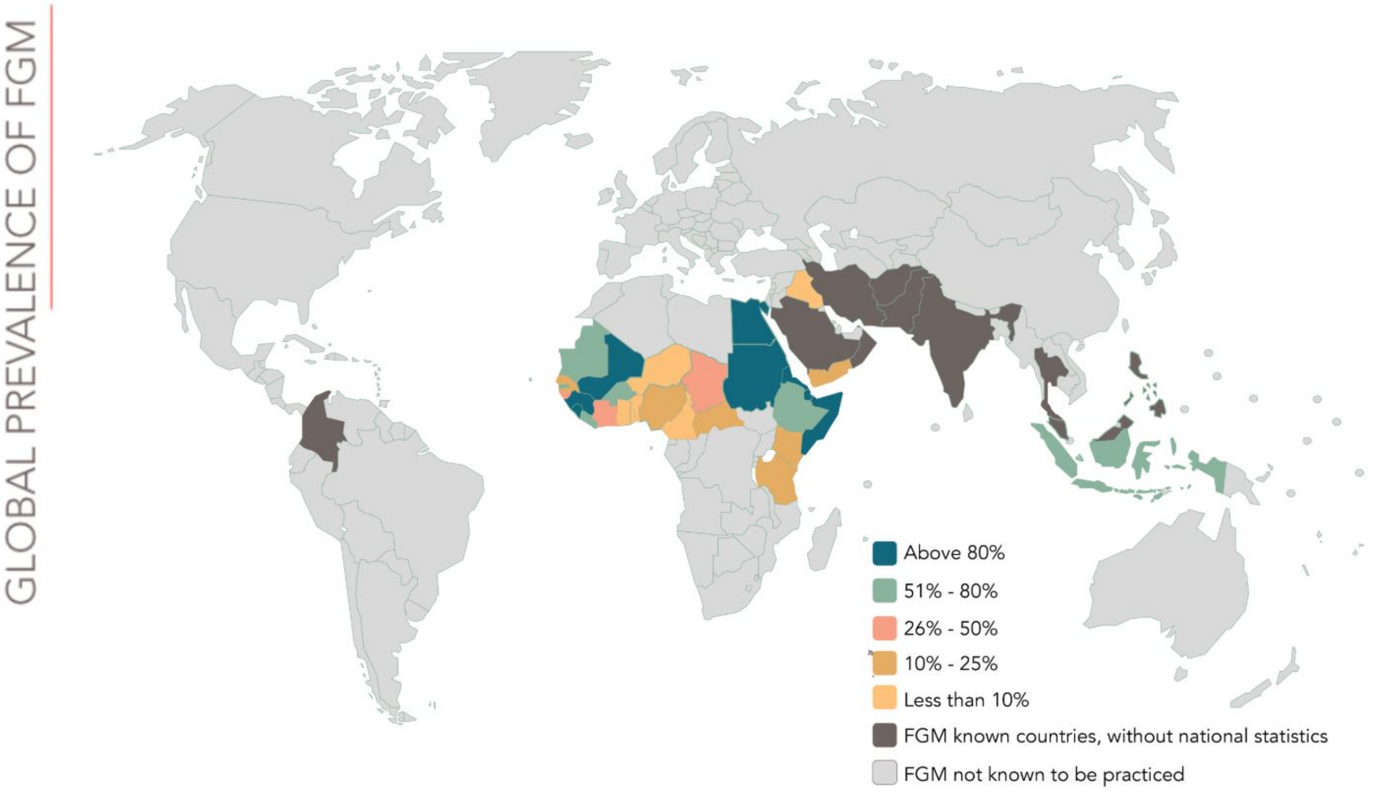

//

- **भारत में स्थिति: वर्तमान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो देश में FGM प्रथा पर प्रतिबंध लगाता हो।**
  - वर्ष 2017 में, सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका के जवाब में, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा था कि **"वर्तमान में कोई आधिकारिक डेटा या अध्ययन नहीं है जो भारत में FGM के अस्तित्व का समर्थन करता हो।"**
  - हालाँकि कुछ अन्य अनौपचारिक रिपोर्टों के अनुसार, **FGM** की प्रक्रियाएँ मुख्य रूप से महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में **बोहरा समुदाय** के बीच प्रचलित हैं।
- **FGM उन्मूलन में चुनौतियाँ:**
  - सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड: FGM अक्सर सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों में गहराई से निहित होता है, समुदाय इसे पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के रूप में मानते हैं।
    - इन पूर्ववर्ती मान्यताओं और प्रथाओं को बदलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  - **जागरूकता और शिक्षा का अभाव:** जिन समुदायों में FGM का अभ्यास किया जाता है उनमें से कई व्यक्ति इस अभ्यास के हानिकारक परिणामों को पूरी तरह समझने में अक्षम हैं।
    - FGM से संबंधित शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता तथा शिक्षा की कमी इस प्रथा को जारी रखने में योगदान दे सकती है।
  - **पर्याप्त डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग का अभाव:** FGM प्रचलन पर सीमित डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग का अभाव है जो इस मुद्दे के दायरे को समझने तथा इसका समाधान करने के प्रयासों में बाधा डालती है।
- **FGM के उन्मूलन हेतु वैश्विक पहलें:**
  - संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने वर्ष **2008** से फीमेल जेनिटल म्यूटलिेशन (FGM) के उन्मूलन हेतु संयुक्त रूप से सबसे बड़े वैश्विक कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
  - वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रथा के उन्मूलन के प्रयासों में प्रगति करने के उद्देश्य से **6 फरवरी** को **इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनटिल म्यूटलिेशन** के रूप में घोषित किया।

- **वर्ष 2024 थीम:** हर वॉइस, हर फ्यूचर आवाज़ (Her Voice. Her Future)।
    - संयुक्त राष्ट्र, [सतत् विकास लक्ष्य 5](#) का अनुपालन करते हुए वर्ष **2030** तक इस प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिये प्रयासरत है।
        - **SDG 5.3 का उद्देश्य** समाज में व्याप्त सभी **कुप्रथाओं**, जैसे कि बाल, अल्प आयु तथा ज़बरन विवाह और फीमेल जेनिटिल म्यूटिलेशन **को खत्म करना है।**

आगे की राह

- **विधान और नीति प्रवर्तन:** FGM को **पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिये** मौजूदा कानूनों को सुदृढ़ करना चाहिये तथा इसका अभ्यास करने अथवा इसे करने की सुविधा प्रदान कराने वालों पर **दंड अधिरोपित करने की आवश्यकता** है।
    - सरकारों को विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से इन विधियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिये।
- **जागरूकता और शिक्षा:** शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और लैंगिक स्वास्थ्य पर FGM के हानिकारक प्रभावों के बारे में समुदायों को शिक्षित करने के लिये व्यापक जागरूकता अभियान की शुरुआत की जानी चाहिये।
    - इन अभियानों में न केवल अभ्यास करने वाले समुदायों के व्यक्तियों को बल्कि अन्य लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- **मानवाधिकार ढाँचे में शामिल करना:** यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि FGM से निपटने के प्रयास **मानवाधिकार सिद्धांतों पर आधारित** हों तथा महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए।
    - **अंतर्राष्ट्रीय [मानवाधिकार](#) ढाँचे** में FGM की रोकथाम तथा निवारण उपायों को शामिल करने का समर्थन किया जाना चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिये? (2015)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/female-genital-mutilation-1